कार्यालंय जिला प्राथिक शिक्षा अधिकारी, कैथल।

आवेश क्रमांक मान्यता विनांकः 28-4-200

किया है । अपनाई मान्यता निम्न शर्तों के आधार पर पत्र जारी करने की तिथि से प्रदान की जाती है:-

- ा. यह कि संस्था शिक्षा विभाग से किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तिय सहायता की गांग नहीं करेगी। संस्था विद्यालय संचालन पर होने वाले व्यय को स्वयं वहन करेगी।
- 2 यह कि संस्था निर्धारित नार्म अनुसार विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करके शीघ्र इस कार्यालय को सूचित करेगी।
- 3. यह कि संस्था एजूकेशन कोड की धारा 214 से 237 तक निहित सभी शर्तों के अनुसार रिकार्ड पूर्ण रखेगी अन्यथा किसी निरिक्षण के समय किसी शर्त पर कोताही पाई गई तो मान्यता समाप्त कर दो जा सकती है।
- 4. यह कि संरथा समय-समय पर विभाग द्वारा जारी किए गए 'आदेशों की पालना करेगी तथा निर्धारित निधियों के शेयर प्रत्येक वर्ष समय पर विभाग को जैंगा करवाग्रेगी।

पृ.क.सम

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।
- 2. सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, हरियाणा रा

3. सभी खण्ड शिक्षा अधिकारों (जिला कैंथल में अ) 4. मुख्याध्यापक 2019 है जिला कैंथल में अनु

5. प्रबन्धक कमेटी

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी

J8 14 2000

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, केर्डल

आदेश क्रमाक जी । 1/2000/ 1/6 9 – 92 विमाकः 7/8/2/ रक्त डिमार्यामका विचालप रितेना की दिनाक 1-4-2000 से छठी से आठवी बद्धा तक स्थाई मान्यता निम्न शति वे शाधार पर प्रदान की जाती है।

- स्कूल की प्रबन्धाव बमेटी सरकार ने किसी भागे प्रकार की वितिय मारंग नि वरेगी । तथा विधालय को अमे साधानों से ही चलायेगी ।
- विध्यालय, हरियाणा शिक्षा को डीवी धारा 159 लेगा 214 239 तक सभा शाती का पालन कोगा।
- विध्यालय समय-समय पर जारी सरकारी हिदायली का पालन करेंगा ।
- विध्यालय हरियाणा विध्यालय शिक्षा बोर्ड हारा जारी पण्ड्याम तथा। प्रतक्षी का ही प्रैयोग करेगा।
- विध्यालय हरियाणा शिक्षा एक 1995 की धारा 4, की से भी शालीं को पूर्ण करेगा।
- अध्यापको को वेतन कास चैक द्वारण दिया जायेगा।
- नियुक्ति में आरक्षणा की पूरी व्यवस्था की जायेगी।
- शोषा फीज राशि। एवं मास वे अन्दर-१ जमग करवासी होगी।
- विध्यालयों के फण्डो शीयर प्रतिवर्ण इन कायालय में जमा करवाने होंगे । (SPORTS, RCF, CWF) उपरोक्त शारी न पूरी करने पर मान्यता समाप्त कर दी जायेगी । 9.

वाद राम शका) जिलां शिक्षा अधिकारी कैशलं ।

दिनाकः - राम -

ति०वे न्यान्तः स्मान-इस्की एक-एक प्रति निम्नलिधिति की त्वनार्थ एवं आएक कार्यवाही

- निदेशक सेवण्डरी शिक्षा हरियोणा, चण्डीगढ ।
- सभी जिला शिक्षा ह अधिवारी ह हरियाणा राज्य ह
- सचिव हरियाणा विधालय रिविता बोर्ड िग्वानी।
- उपमण्डल शिक्ता अधिकारी , वेधाले ।

मुं अर एक वेमार् कि रहान विशं जी दावारी. कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ आदेश कमांक 23/6/6 -2001-वि0 । (1) दिनांक चण्डीगढ़ २५-१० २००। उस्पर् डी॰ हार्ज स्टब्स्ट स्टिन्स् (विश्वस्त)

को दंसवी स्तर तक की स्थाई मान्यता दिनांक 1.4.2001 से निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है:-

- 1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और ग्रान्ट इत्यादि की मांग नहीं करेंगे ।
- 2. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय-2 पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करेगा ।
- 3 विद्यालय हरियाणा शिक्षा कोड की धारा 159 तथा 214 से 349 तक की सभी शर्तों की पूर्ण रूप से पालना करेगा ।
- 4. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 की घारा—4 की सभी शर्ती को पूर्ण करेगा तथा इसके जों नियम बनेगे उनकी विद्यालय पालना करेगा
- 5. अध्यापकों को वेतन कास चैक द्वारा दिया जाये ।
- 6. नियुक्ति में आरक्षण नीति का ध्यान रखेगा ।
- 7. विद्यालय शेष <u>१०,५००/-</u> रूपए प्लैज राशि के रूप में एक मास के अन्दर-अन्दर जमा करवाएगा ।

एच० सी० शर्मा, सयुंक्त निदेशक (विद्यालय) कृतेः निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़

पृष्ठाकंन क्मांक सम

दिनांक चण्डीगढ 25 (० २००)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित का सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी किया को उनके कमांक मि 🎞 /२००/ के सन्दर्भ में ।


2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी । मुख्याध्यापक <u>इस्पेट डीट हाड</u> स्थाद स्थीजा विद्यालय

> सहायक निदेशक विद्यालय –1 कृतेः निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा — चेंद्री उप

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

School Code 4304/KTL/12th/BOSE/2019

ORDER NO. 25/12-2019 PS (3)

Dated, Panchkula The 04.09.2019

upon me under rule 34 (1) of Haryana School Education, conferred In exercise of the powers Rules, 2003, sanction is hereby accorded for permanent recognition to S.D. Sr. Sec. School, Vill. Rasina (Kaithal) run by Managing Committee, Sanatan Dharam Shiksha Samiti, Vill. Rasina, Tehsil Pundri, Distt. Kaithal for classes 11th to 12th in subjects of (Arts, Commerce & Science Stream) under BOSE pattern with effect from 01.04.2019 under the following terms and conditions:-

TERMS & CONDITIONS:-

- This permanent Recognition is granted that on the subject to the condition that the documents/information furnished by the school authorities are factual and not devoid of truth in any way. However, if any information at any stage, is found contrary to the facts the recognition would be revoked forthwith.
- The school shall follow the course of study as per syllabus prescribed by the affiliated board.
- The school shall charge fees and funds as declared to the appropriate authority at the time of application for recognition and display the same on the notice board of the school and shall not increase the fees during the any academic session. In case of any change in the fee structure the school shall inform to the appropriate authority in the month of January for the next academic year and will also issue printed receipts of fees/funds to the students.
- Salary shall be paid as per declaration at the time of seeking recognition.
- No capitation fee and other charges shall be charged from the children/parents.
- School shall be open for admission without any discrimination based on religion, caste, race, place of birth any other whimsical.
- Managing Committee shall not allow to run two schools affiliated by different board/council in the same premises.
- Managing Committee shall not close down the school or and existing class during the academic session without the prior approval of the
- The school shall be open for inspection for the inspecting officer authorized by the Director/Appropriate Authority. 9
- 10. Recognition so granted shall be reviewed after every 10 years.
- No financial assistance shall be granted by the Department to the school.
- School premises shall not be used for commercial purpose and anti National activities.
- Approval of Managing Committee shall be obtained from the appropriate authority in case of any change in the committee.
- The Managing Committee shall follow the instructions issued by Government/Director from time to time and supply the information to the
- In addition to above the Managing Committee shall abide by the provisions of Haryana School Education Rules, 2003 and amendments if any thereafter. The Managing Committee shall be liable for disciplinary action in case of violation of any provisions of the rules. School will provide ramp within six months otherwise recognition will stands withdrawn.
- 16
- If any information, at any stage found Contrary to the Fact's the recognition would be revoked forthwith. That the number of students in classroom shall not be more than the students calculated on the 10 square feet per student for secondary
- and Senior Secondary Schools and 9 Square feet per student of elementary state.
- The managing committee shall abide by the provisions of Haryana School Education Rules 2003(amended) & R.T.E. Rules 2011 and amendments it any thereafter. The Managing shall be liable for disciplinary action in case of violation of any provision of the rules.

Dr. Balkar Singh, IAS Director Secondary Education Haryana, Panchkula Dated, Panchkula, the 05.09.2019

Endst. No. Even

A copy is forwarded to the following information and necessary action:-Regd.

- Deputy Commissioner, Kaithal.
- District Education Officer, Kaithal.
- Secretary, Haryana Board of School Education, Bhiwani.
- Managing Committee Sanatan Dharam Shiksha Samiti, Vill. Rasina, Tehsil Pundri, Distt. Koirhal.
- Principal, S.D. Sr. Sec. School, Vill. Rasina (Kaithal).
- I.T. Cell (HQ) Kindly upload on website.
- Office Record.

Deputy Superintendent (PS) for Director Secondary Education Haryana, Panchkula